www.rojgarsamachar.gov.in
www.employmentnews.gov.in

अंग्रेजी एवं उर्दू में भी प्रकाशित
वार्षिक शुल्क : ₹ 350

सत्यमेव जयते

रोज़गार समाचार

साप्ताहिक

खण्ड 38 अंक 12 पृष्ठ 48 | नई दिल्ली 22-28 जून 2013 | ₹ 8.00

ऋतुपर्णो घोष : भारतीय सिनेमा की नई सोच

– शांतनु गांगुली

हमने कभी अपने सबसे बुरे सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऋतुपर्णो घोष हमें इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे. न वो काफी बीमार थे न ही उनके साथ कोई अचानक दुर्घटना हुई थी. उनका निधन तब हुआ जब वे सो रहे थे. ऐसी शांत मौत तो अनेक लोग चाहते होंगे, लेकिन उनके निधन से भारतीय फिल्म उद्योग को काफी नुकसान हुआ है.

प्रख्यात भारतीय फिल्म निर्माता पिछले दो दशकों से नए दर्शकों को थिएटर पर फिल्म देखने पर मजबूर कर देने में काफी हद तक समर्थ रहे . हालांकि उन्होंने अधिकतर बांग्ला फिल्में बनाई लेकिन अपनी फिल्मों में किरदारों विशेषकर महिला किरदारों को परिभाषित करने की उनकी उत्तम योग्यता भारतीय सिनेमा में हमेशा यादगार बनकर रहेगी.

उन्होंने अपनी फिल्मी कॅरिअर की शुरूआत 1992 में फिल्म हीरेर अंगती (हीरे की अंगुठी) के साथ की लेकिन फिल्म उन्नीश अप्रैल (19 अप्रैल) उनकी पहली फिल्म थी, जिसने एक गंभीर फिल्मनिर्माता के रूप में उन्हें सफलता दिलाई. उन्हें इसके लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म तथा बांग्ला फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री देबाश्री रॉय को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था. देबाश्री बहुत उम्दा कलाकार हैं लेकिन उन्होंने अधिकतर कमर्शियल फिल्मों में ही काम किया है. चाहे पुरुष का हो या महिला का ऋतुपर्णो अपने हर एक किरदार की छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देते थे, जिससे लगता था कि वह किरदार केवल उसी विशेष अभिनेता के लिए ही बना है. उनका चरित्र वर्णन इस प्रकार का होता था कि दर्शक और आलोचक अब भी उन किरदारों के बारे में चर्चा करते नहीं थकते. उन्नीशे अप्रैल फिल्म से पहले किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि अपर्णा सेन के विधवा मां का किरदार और देबाश्री रॉय के डॉक्टर बेटी के किरदार के बीच का संबंध किसी फिल्म का विषय भी हो सकता है और वो भी कि वह एक उत्कृष्ट कृति भी बन सकती है.

ऋतुपर्णो ने साफ तौर पर कहा था कि वे वयोवृद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे से प्रेरित हैं. रे की तरह वो भी सिनेमा की कला में पूरी तरह निपुण थे. उन दोनों को अपनी-अपनी फिल्मों की हर छोटी से छोटी जानकारी रखने के बारे में जाना जाता है. ऋतुपर्णो भी रे की तरह काफी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे. निर्देशन के अलावा वह फिल्म की पटकथा, सेट, परिधान, गीत और संगीत पर भी बारिकी से ध्यान देते थे और आखिरकार वह एक अभिनेता के रूप में भी उभरे.

अनेक लोगों को लगता है कि ऋतुपर्णो द्वारा बनाई गई बेहतरीन फिल्म उनकी तीसरी फिल्म दहन (क्रॉसफायर) थी. वास्तविक जिंदगी पर यह फिल्म प्रख्यात बांग्ला लेखिका सुचित्रा भट्टाचार्या के उपन्यास पर आधारित थी. दहन के लिए ऋतुपर्णो सेनगुप्ता और इंदरानी हल्दर द्वारा निभाए गए दोनों प्रमुख महिला किरदारों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और ऋतुपर्णो को सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाज़ा गया. उन्होंने रबीन्द्र संगीत गायिका सुचित्रा मित्रा को दहन में महत्वपूर्ण महिला किरदार निभाने पर ज़ोर दिया. ऋतुपर्णो ने वयोवृद्ध गायिका की एक और प्रतिभा को भांप लिया था. दहन बनाने के बाद उन्होंने खुद को भारतीय फिल्म सिनेमा में एक ऐसे उभरते हुए फिल्मनिर्माता के रूप में पेश किया जो काफी समय तक यहां राज करने वाला है. अनुपम खेर द्वारा निर्मित उनकी चौथी फिल्म बारिवाली (लेडी ऑफ द हाउस) के लिए किरण खेर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सुदीप्ता चक्रवर्ती को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला . उसके बाद से सभी अभिनेत्रियों की इच्छा थी कि वे ऋतुपर्णो के साथ काम करे चाहे कोई भी किरदार हो क्योंकि उनके किरदारों की भूमिका इतनी मज़बूत और स्पष्ट होती है कि प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने की काफी संभावना होती है और अगर नहीं तो कम से कम वो किरदार आलोचक और दर्शक का ध्यान तो खींचता ही है. बारिवाली को बर्लिन अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रतिष्ठित नेटपेक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ.

ऋतुपर्णो की देशभर में पहचान बनने के बाद मुम्बई में हिंदी फिल्म उद्योग के बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउस फिल्म के विषय में किसी तरह के हस्तक्षेप के बिना उनके साथ काम करने के इच्छुक थे. फिल्म उद्योग में ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि विषय के साथ कोई छेड़छाड़ किए बिना किसी युवा फिल्मनिर्माता को सहयोग दिया गया हो. उनको पता था कि ऋतुपर्णो बहुत ही सख्त फिल्मनिर्माता थे जो अपने विषय के साथ कोई समझौता नहीं करते थे. मज़बूत विषय, स्पष्ट रूप से बात कहने के अंदाज़, फिल्म से निर्माता को अच्छा मुनाफा दिलाने की क़ाबिलियत और पुरस्कार जीतने की अपार संभावना जैसी विशेषताओं के कारण उनकी अपनी एक पहचान थी. इसलिए न केवल मुम्बई से बल्कि देशभर से सभी निर्माता उनके साथ काम करने को तैयार थे.

डी.रामानायडु द्वारा निर्मित असुख (अस्वस्थ) को सर्वश्रेष्ठ बांग्ला फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार, उत्सब (पर्व) को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म शुभो मुहोरत (शुभ मुहूर्त) के लिए उनको फिर से सर्वश्रेष्ठ बांग्ला फीचर फिल्म और अभिनेत्री राखी गुलज़ार को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला. यश चोपड़ा की दाग फिल्म के बाद केवल ऋतुपर्णो ने ही शर्मिला टैगोर और राखी गुलज़ार जैसी महान हस्तियों को शुभो मुहोरत में एक साथ काम करने के लिए आमंत्रित करने का साहस दिखाया. जबकि नंदिता दास ने इस फिल्म में नायिका की भूमिका निभाई थी.

अपनी विभिन्न फिल्मों में कई अभिनेताओं को एकसाथ काम कराने में ऋतुपर्णो काफी हद तक माहिर थे. तितली में कोंकणा सेन ने नायिका की भूमिका निभाई और उनकी असली मां अपर्णा सेन ने इस फिल्म में उनकी मां की भूमिका निभाई. पहली बार मिथुन चक्रवर्ती अपर्णा सेन के साथ नज़र आए. बॉम्बे अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में तितली को फिपरेस्की पुरस्कार दिया गया.

जब ऐश्वर्या राय हिंदी फिल्म जगत में एक प्रमुख अभिनेत्री थी उस समय ऋतुपर्णो ने टैगोर के उपन्यास चोखेर बाली पर आधारित बांग्ला फिल्म में काम करने के लिए उनको आमंत्रित किया जो कि काफी सफल रही और उन्होंने भारतीय फिल्म जगत में राइमा सेन को भी एक गंभीर अदाकारा के रूप में पहचान दिलाई. मुनमुन सेन की बेटी और मशहूर अदाकारा सुचित्रा सेन की नातिन राइमा इस फिल्म से पहले एक अदाकारा के रूप में फिल्मों में अपनी गहरी छाप नहीं छोड़ पाई थी. चोखेर बाली के बाद फिल्मनिर्माताओं ने राइमा को गंभीरता से लेना शुरू किया. अपने कलाकारों की बेहतरीन अदाकारी को पर्दे पर प्रस्तुत करने में ऋतुपर्णो काफी समर्थ थे.

2004 में उन्होंने ऐश्वर्या राय और अजय देवगन के साथ पहली बार एक हिंदी फिल्म रेनकोट बनाई. हमेशा की तरह उनकी इस फिल्म रेनकोट को भी सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला.

वयोवृद्ध बांग्ला लेखक तारा शंकर बंद्योपाध्याय के उपन्यास पर आधारित अपनी फिल्म अंतरमहल के लिए लेखक को कोई श्रेय नहीं देने के कारण वे विवाद में रहे लेकिन बाद में उसे सुलझा लिया गया. अंतरमहल में अंग्रेज़ों के समय में बंगाली समाज में सामंती ज़मींदारी संस्कृति का उल्लेख था. जैकी श्रॉफ, रूपा गांगुली और सोहा अली खान ने इस फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाई.

(शेष पृष्ठ 48 पर)

रोज़गार सारांश

स.सी.ब.

● सशस्त्र सीमा बल को 645 सिपाही (चालक) की आवश्यकता.

अंतिम तिथि: 01.08.2013

चि.अ.च.बो. (च.अ.च.बो.)-2013

● चिकित्सा अधिकारी चयन बोर्ड (चि.अ.च.बो) को 608 विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों (उप कमांडेंट), चिकित्सा अधिकारी (सहायक कमांडेंट) और दंत सर्जन (सहायक कमांडेंट) की आवश्यकता

अंतिम तिथि: 13.07.2013

बैंक

● भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई को 68 सुरक्षा गार्डों की आवश्यकता

अंतिम तिथि: 12.07.2013

बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सशस्त्र सेनाओं, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों की अन्य रिक्तियों के लिए अंदर के पृष्ठ देखें.

वेब विशेष

www.rojgarsamachar.gov.in पर वेब विशेष खण्ड में निम्नलिखित आलेख उपलब्ध है:

1. रुपये के मूल्य में रिकॉर्ड गिरावट
2. फिच ने बढ़ाई भारत की रेटिंग
3. टेलीग्राम सेवाओं के युग का अंत

विधि अधिकारियों की भूमिका

(अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल)

– विपिन आसपतवार

ऐतिहासिक रूप से भारत के अटॉर्नी जनरल अदालतों और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच एक अहम कड़ी का काम करते हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हाल की 'कोलगेट' संबंधी कार्यवाहियों के प्रकाश में उनकी (और अन्य विधि अधिकारियों) की भूमिका सघन जांच का विषय मामला बनकर रह गई है. क्या वे अदालत के प्रति उत्तरदायी हैं अथवा राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति? अटॉर्नी जनरल एक संवैधानिक पद है इस पद पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है. हालांकि अटॉर्नी जनरल (और अन्य विधि अधिकारी) की राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होती हैं, परंतु परंपरागत रूप से विधि अधिकारियों को भी सरकार बदलने के साथ ही परिवर्तित कर दिया जाता है. अटॉर्नी जनरल सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और मुकदमेबाज़ी के उद्देश्यों के लिए प्रमुख वकील होता है. वह भारत की किसी भी अदालत में सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकता है और संसद में भागीदारी कर सकता है, भले ही उन्हें मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है.

विधि अधिकारी (सेवा की शर्त) नियम, 1987 के नियम 2 (ग) में ''विधि अधिकारी'' को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: ''विधि अधिकारी'' से आशय और उसमें शामिल क्षेत्र निम्नलिखित हैं-भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल.'' विधि अधिकारी (सेवा की शर्त) नियम, 1987 के तहत विधि अधिकारियों का पारिश्रमिक, कर्त्तव्य और अन्य शर्तें एवं निबंधन शासित होती हैं. विधि अधिकारी की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए होती है (साथ में पुनःरोज़गार के लिए पात्रता) और वे कोई कार्यपालक प्राधिकारी नहीं होते.

इन नियमों के नियम 5 (ग) में विधि अधिकारी के कर्त्तव्यों का व्यापक रूप से उल्लेख इस प्रकार किया गया है: (क) ऐसे कानूनी मामलों पर परामर्श देना और कानूनी प्रकृति के अन्य कार्य संपन्न करना, जिन्हें सरकार द्वारा उन्हें संदर्भित किया/सौंपा जाता है: (ख) सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य हाईकोर्ट में ऐसे मामलों (मुक़दमों, रिट याचिकाओं, अपील और अन्य कार्यवाहियों) में भारत सरकार की ओर से उपस्थित होना, जिनसे भारत सरकार एक पक्ष के रूप में संबद्ध है अथवा इसकी कोई अन्य रुचि है; (ग) संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति द्वारा प्रेषित किसी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना; (घ) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करना जो कि किसी विधि अधिकारी को संविधान या यथा समय लागू किसी अन्य कानून के तहत प्रदान किये गये हैं. ऐतिहासिक रूप से अटॉर्नी जनरल ने किसी कानून की व्याख्या में अदालतों की सहायता करने, कानून से जुड़े किसी जटिल मुद्दे पर संसद को संबोधित करने और न्याय प्रशासन बरकरार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. विधिक क्षेत्र में ये एक प्रतिष्ठित पद है जिसे देश के प्रमुख अधिवक्ता गौरवान्वित कर चुके हैं. भारत के पहले अटॉर्नी जनरल एम.सी.सीतलवाड थे, जो 13 वर्ष तक इस पद पर रहे. श्री सीतलवाड भारत के विधि आयोग के पहले अध्यक्ष (1955-1958) भी रहे थे. इस पद पर सी के दफ्तरी, नीरेन डे, एस.वी.गुप्ते, सोली सोराबजी, अशोक देसाई जैसे कई जाने-माने अधिवक्ता रह चुके हैं.

भारत का अटॉर्नी जनरल

अटॉर्नी जनरल का पद उनमें से एक है जिसे संविधान में विशेष दर्ज़ा प्रदान किया गया है. वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और इस प्रकार उसकी ड्यूटियां निम्नानुसार हैं:-

(i) ऐसे कानूनी मामलों पर परामर्श देना और कानूनी प्रकृति के अन्य कार्य संपन्न करना, जिन्हें महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उन्हें समय-समय पर सौंपा जाता है, और (ii) उन्हें संविधान के अंतर्गत अथवा यथा-समय लागू किसी अन्य कानून के तहत प्रदत्त कर्त्तव्यों का निवर्हन करना (अनुच्छेद 76).

हालांकि भारत का अटॉर्नी जनरल मंत्रिमण्डल का सदस्य नहीं होता है (जैसा कि इंग्लैंड में है), लेकिन उन्हें संसद के सदनों में अथवा उनकी किसी समिति में भी बोलने का अधिकार है, परंतु वोट का कोई अधिकार नहीं होगा. (अनुच्छेद 88). अपने पद से जुड़े अधिकारों के तहत उन्हें संसद सदस्य का विशेषाधिकार प्राप्त है. (अनुच्छेद 105(4)1). अपनी आधिकारिक ड्यूटियों के संचालन में, अटॉर्नी जनरल को भारतीय प्रदेश में सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है.

अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और वे राष्ट्रपति की इच्छानुसार पद को धारण करेंगे. उनके पास वही अर्हताएं होनी चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए अपेक्षित होती हैं. वे राष्ट्रपति द्वारा यथा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे. वे न तो सरकार के लिए एक पूर्णकालिक अधिवक्ता होते हैं और न ही सरकारी कर्मचारी.

(स्रोत: डा. डी.डी. बासु द्वारा लिखित पुस्तक ''संविधान का परिचय'' से साभार)

इतिहास

अटॉर्नी जनरल के कार्यालय का इतिहास 13वीं सदी के इंग्लैंड में देखने को मिल सकता है. चूंकि सम्राट अदालतों में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित नहीं हो सकते थे, तो ऐसे में उनके अटॉर्नी को शासक का प्रतिनिधित्व करने और सम्राट के मामले की पैरवी करना ज़रूरी होता था. 1461 में सम्राट के अटॉर्नी जनरल को अटॉर्नी जनरल के तौर पर विनिर्दिष्ट किया गया, जब उसे कानूनी मामलों पर परामर्श के लिए हाउस ऑफ लार्ड्स बुलाया गया. वर्ष दर

(शेष पृष्ठ 2 पर)

अपना सर्जिकल कौशल संवारें

आज स्वास्थ्य सुरक्षा तथा इंजीनियरी कई तरह से एक साथ कार्य कर रही हैं, इस सामंजस्य के परिणामस्वरूप नए परिष्कृत नैदानिक उपकरण चिकित्सा उपस्कर तथा नई उपचार पद्धतियां विकसित हुई है. ऐसे प्रत्येक अभिनव के आविष्कार के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा उद्योग आदर्श पद्धतियों की ओर बढ़ रहा है. रोबोटिक सर्जरी ऐसा ही एक नवप्रवर्तन है जो नाजुक सर्जरी करने में रोबोट का प्रयोग करता है.

रोबोटिक सर्जरी में सर्जरी रोबोटिक उपकरणों का प्रयोग करके की जाती है. इन उपकरणों के आविष्कार के साथ ही अंग में बड़े चीरे लगा कर की जाने वाली परम्परागत जोखिमपूर्ण सर्जरी का स्थान न्यूनतम जोखिमपूर्ण सर्जरी ले रही है. ये पद्धत्तियां, मानव शरीर में टाइनी पोर्ट्स या की-होल्स के माध्यम से छोटे सर्जिकल उपकरणों का उपयोग करके की जाती है. ऐसे सर्जिकल उपकरणों में सर्जिकल रोबोट महत्वपूर्ण है.

सर्जरी करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सबसे लोकप्रिय रोबोट 'डा विंसी' है. इसका विकास इंट्यूटिव सर्जिकल, यू.एस.ए. द्वारा किया गया था. इसे विश्व में अत्यधिक उन्नत टेली-सर्जिकल प्रणाली माना जाता है. इस उपकरण की चार भुजाएं होती हैं. एक भुजा में एक हाई-डेफिनिशन कैमरा होता है, जो सर्जन के कंसोल में वास्तविक तीन आयामी मेग्नीफिकेशन इमेज संचारित करता है. इसकी अन्य तीन भुजाओं में छोटे प्रोप्रिएटरी उपकरण होते हैं.

रोबोट की भुजाओं में सेंसर होते हैं जो सर्जन के हाथ की गतिविधियों को पिक-अप करते हैं और सर्जरी के वास्तविक स्थल पर उसकी पुनरावृत्ति करते हैं. इस प्रणाली में शरीर के अंगों की हलचल तथा कपकपी को कम करने के भी उन्नत विकल्प होते हैं. सर्जरी के दौरान ऐसा लगता है कि सर्जन का हाथ मरीज के शरीर के अंदर है, किंतु वास्तविकता यह होती है कि वह स्क्रीन पर व्यापक प्रतिबिंब देख कर प्रतीयमान वास्तविकता में कार्य कर रहा है.

रोबोटिक सर्जरी जटिल सर्जिकल पद्धत्तियों की सफलता दर बढ़ा सकती है. ये जोखिम तथा अंगों की चीर-फाड़ को भी कम करते हैं और मरीज के विश्वास में भी वृद्धि करते हैं. रोबोटिक उपकरणों से सर्जन का चिकित्सा उपकरणों पर बेहतर नियंत्रण रहता है. ये उपकरण शरीर के ऐसे स्थानों में भी कारगर होते हैं जहां ऑपरेशन नहीं किया जा सकता और साथ ही शरीर के उस लक्षित स्थल के आसपास के भागों को भी कोई क्षति नहीं पंहुचती, इस पद्धत्ति से, मानव के हाथ से होने वाली टीशू क्षति की तुलना में बहुत कम क्षति होती है. कम चीर-फाड़ का अर्थ हुआ शरीर से कम खून निकलना, कम दर्द होना, घाव शीघ्र भरना तथा अस्पताल में कम अवधि तक रहना. ये उपकरण अपनी अधिकतम क्षमता में सटीक कार्य करते हैं, जिससे सर्जरी सुरक्षित एवं संक्षिप्त होती है.

कल्पित धारणा :

कुछ व्यक्ति यह सोचकर घबराते हैं कि ऑपरेशन रोबोट करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वास्तविक सर्जरी सर्जन द्वारा की जाती है. सर्जन, रिमोट मेनीपुलेटर का उपयोग करके या कम्प्यूटर नियंत्रण द्वारा रोबोट की हलचल पर नियंत्रण रखता है.

रोबोट का उपयोग करने का कौशल :

रोबोटिक सर्जरी, आयुर्विज्ञान में कोई पृथक विषय नहीं है. यह एक ऐसी उन्नत तकनीक है जिसका, सर्जन अपने कार्यों में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं. यह तकनीक कई क्षेत्रों जैसे हृदयरोग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, थोरासिस, न्यूरोलोजी, यूरोलोजी, गायनेकोलोजी, प्रोस्ट्रेट कैंसर तथा सामान्य सर्जरी में प्रयोग में लाई जा सकता है.

आयुर्विज्ञान जगत के प्रौद्योगिकी के साथ तीव्र एकीकरण तथा विश्व द्वारा नवीनतम तकनीकों को तत्काल अंगीकार के साथ ही सर्जनों को भी अपने कॅरिअर में आगे बने रहने के लिए अपने कौशल को बढ़ाने पर बल देना चाहिए. क्योंकि कम्प्यूटर द्वारा बढ़ाया गया परिष्कृत सर्जिकल कौशल आपको निश्चित तौर पर अन्यों की तुलना में लाभ देगा.

कौशल

रोबोटिक उपकरणों का उपयोग करके सर्जरी करने की कला प्राप्त करने के लिए व्यापक अध्ययन की आवश्यकता होती है. किसी अन्य कार्य की तरह ही प्रेक्टिस, सर्जन को इस उपकरण का उपयोग करके निपुण बनाती है. रोबोट की सहायता से वास्तविक सर्जरी करने से पहले डाक्टरों को, सिमुलेटर्स का उपयोग करके परोक्ष जगत में इस उपकरण का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है. प्रशिक्षण के दौरान उन्हें रोबोटिक प्रणालियों की कार्य-पद्धत्ति समझने की आवश्यकता होती है. उन्हें इस उपकरण द्वारा इमेज तथा सूचना सामग्री को समझने और इसे कार्य में परिणत करने के प्रयास करने की आवश्यकता होती है. प्रारंभ में रोबोटिक सर्जरी पूरी करने के लिए परम्परागत सर्जरी की तरह दो गुना समय ले सकते हैं. रोबोटिक सर्जरी में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए प्रायः 10 से 15 वास्तविक अनुभवों की आवश्यकता होती है. रोबोटिक सर्जरी में प्रशिक्षित होने से पहले डॉक्टरों को परम्परागत ऑपरेशन पद्धत्तियों में विशेषज्ञता प्राप्त करनी चाहिए. इसलिए यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रशिक्षण को चुनने के लिए सर्जरी में मास्टर होना एक न्यूनतम पात्रता मानदंड है.

यह जिज्ञासा की कम्प्यूटेशनल उपकरण कैसे कार्य करते हैं, चिकित्सा उपकरण बाजार में नवीनतम उपकरणों के बारे में जानकारी लेने का उत्साह, चिकित्सा जगन में विकास के बारे में ज्ञान को अद्यतन बनाए रखने की रुचि, परिवर्तन के क्षेत्र में आगे बने रहने की ललक ऐसी अभिवृत्ति हैं जो महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को आगे ले जाएंगी.

भारत में रोबोटिक सर्जरी अपने विकास के चरण में है. यहां कुछ ही चिकित्सा रोबोट हैं और ऐसे सर्जन भी कम हैं जो सर्जरी में इनका उपयोग कर सकते हैं. इसके मुख्य कारण यह है कि विशेषज्ञता पूर्ण क्षेत्र में परामर्श (मेंटोरशिप) का अभाव है. इच्छुक सर्जन प्रायः यू.एस.ए. या यू.के. में जा कर इसका प्रशिक्षण लेते हैं. सौभाग्यवश आज-कल कुछ उच्च अस्पताल एवं चिकित्सा-संस्थान भारतीय सर्जनों को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न देशों से रोबोटिक सर्जरी विशेषज्ञों को आमंत्रित कर रहे हैं.

दूसरी तरफ इस तथ्य के कारण कि परम्परागत सर्जरी की तुलना में रोबोटिक सर्जरी महंगी होती है, बहुत कम मरीज इस सर्जरी को चुनते हैं. रोबोटिक सर्जरी के लाभों के बारे में जानकारी का अभाव एवं इसकी कुशलता के बारे में संदेह ऐसे कुछ अन्य कारण हैं, जिनके चलते मरीज इस सर्जरी को नहीं चुनते.

तथापि, इस तकनीक के बारे में जानकारी बढ़ने से, और इससे भी महत्वपूर्ण, चिकित्सा पर्यटन के भारत में पनपने से अधिकांश अस्पताल इस पद्धति को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. एम्स, नई दिल्ली, राजीव गांधी कैंसर संस्थान, नई दिल्ली, वट्टीकुटी रोबोटिक सर्जरी संस्थान (हैदराबाद, बंगलौर, मुंबई एवं गुड़गांव) तथा फोर्टीज अस्पताल, नई दिल्ली भारत में रोबोटिक सर्जरी करने वाले कुछ अग्रणी संस्थान है.

रोबोटिक सर्जन के कॅरिअर के अवसर चुनौतीपूर्ण एवं आकर्षक हैं. रोबोटिक सर्जन का वेतन पैकेज अत्यधिक ऊंचा होता है. रोबोटिक सर्जरी कई सर्जिकल पद्धत्तियों में सुरक्षा मानक बनने के लिए प्रतिबद्ध है. परम्परागत सर्जरी करने वाले सर्जन इस तकनीक में प्रशिक्षित हो सकते हैं. इससे उनके कॅरिअर में निश्चय ही एक बड़ा परिवर्तन आएगा.

क्र.सं.	संस्थान	वेबसाइट
1.	अपोलो रोबोटिक सर्जरी संस्थान	www.apollohospitals.com
2.	गैलेक्सी केयर लेपरोस्कॉपी इंस्टीट्यूट	www.galaxycarelaparoscopy.org
3.	मेदांता वट्टीकुटी रोबोटिक सर्जरी संस्थन	www.medanta.org

[यह लेख TMIE2E अकादमी कॅरिअर सेंटर, सिकंदराबाद (आं.प्र.) के सौजन्य से प्राप्त हुआ है. ईमेल. faqs@tmie2e.com]

विधि अधिकारियों की...

पृष्ठ 1 का शेष

वर्ष (सदियों में), अटॉर्नी जनरल न केवल एक ऐसा साधन बन गया जिसके ज़रिए सम्राट ने न केवल अपने विधिक कार्यों और दायित्वों का निवर्हन किया, बल्कि मुख्य अधिवक्ता, संसद सदस्य और महत्वपूर्ण राजनीतिक ज़िम्मेदारियों के साथ राज्य मंत्री के रूप में भी कर्त्तव्य निभाया. इन असंख्य भूमिकाओं ने एक दूसरे को अतिव्यापन और प्रभावित करने की प्रवृत्तियों को जन्म दिया, जिससे विवाद उत्पन्न हुए. इन भूमिकाओं में सामंजस्य स्थापित करने में हुई कठिनाई ने इंग्लैंड में स्वतंत्र उदासीनता की इस धारणा को जन्म दिया. क) अटॉर्नी जनरल को सरकारी नीति के सवालों के घेरे में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए और न ही सरकार के भीतर नीतिगत बहसों में उसकी निकटता होनी चाहिए; ख)उसके स्वयं के पोर्टफोलियो से संबंधित मामलों को छोड़कर ठोस राजनीतिक बहस में संलिप्त नहीं होना चाहिए; और ग) दलगत राजनीति के संबंध में सामान्यतः मितभाषी हों तथा उसे टकराव से दूर रहना चाहिए. इस स्वतंत्र उदासीनता ने ऐसे देशों को प्रभावित किया है जिनकी विधिक प्रणालियों की उत्पत्ति ब्रिटेन से हुई है; भारत, केन्या, सिंगापुर, श्रीलंका, मालटा जैसी अन्य पूर्व भारतीय उपनिवेशों में अटॉर्नी जनरल को राजनीति से मुक्त एक सरकारी अधिकारी के तौर पर परिकल्पिक किया गया है.

इंग्लैंड में अटार्नी-जनरल की भूमिका स्थैतिक नहीं रही है और वर्ष दर वर्ष बहुत से परिवर्तन आए हैं. हाल में इंग्लैंड में अटॉर्नी जनरल का कार्यालय इराक हमले की वैधानिकता, ''कैश फॉर आनर्स'' मामले में संभावित मुकदमों, और संविदा हासिल करने के वास्ते एक ब्रिटिश शस्त्र फर्म द्वारा रिश्वत दिये जाने के मामले की गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय द्वारा की जाने वाली जांच को रोकने के फैसले पर अपने परामर्शों को लेकर विवादित हो गया था. इसके प्रत्युत्तर में 2007 में हाउस ऑफ कामन्स की संवैधानिक मामलों की समिति की रिपोर्ट में अटॉर्नी जनरल के कर्त्तव्यों को दो हिस्सों में बांटने की अनुशंसा की गई एक अधिकारी द्वारा पूर्णतः कानूनी मामलों की देखरेख करना जो कि दलगत राजनीतिक के जीवन से बाहर हो; मंत्रालयी कामकाज की देखरेख न्याय मंत्रालय में एक मंत्री के द्वारा किया जाना.

हालांकि विधि अधिकारी के सरकार के साथ परस्पर ग्राहक-वकील के संबंध होते रहे हैं, उनका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्त्तव्य भारत के संविधान और कानून के प्रति होती है. भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को सरकार के साथ वकील-ग्राहक संबंध होने के तौर पर विनिर्दिष्ट किया है और साथ ही उसे अदालत का एक मित्र भी बताया है.

बी.पी.सिंघल बनाम भारतीय संघ (2010) 6 एससीसी, 331 में, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि हालांकि अटॉर्नी जनरल एक सरकारी पद धारण किये हुए हैं, केंद्रीय सरकार और अटॉर्नी जनरल के बीच वकील-ग्राहक संबंधों का एक अवयव होता है. पी एन दूआ बनाम शिवशंकर (1988) 3 एससीसी 167 में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि कोर्ट (सुप्रीम) के संबंध में अटॉर्नी जनरल और सॉलीसिटर जनरल के पद बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं. अदालत ने कहा कि इंग्लैंड से भिन्न, अटॉर्नी जनरल मंत्रिमण्डल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह अदालत का दोस्त है और कुछेक संबंधों में अदालत के मित्र, तत्वज्ञ और गाइड के तौर पर काम करता है. अदालत ने स्वयं को अटॉर्नी जनरल और उनकी अनुपस्थिति में सॉलिसिटर जनरल की सहायता से कानून का खोज़क और व्याख्याकर्ता के तौर पर उल्लेख किया है. यहां तक कि ऐसे उदाहरण भी रहे हैं कि विधि अधिकारियों को विशिष्ट मामलों में (सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मामले में अदालत की अवमानना के लिए) अदालत के मित्र के तौर पर नियुक्त किया गया है.

भारत के सॉलिसिटर जनरल

भारत के सॉलिसिटर जनरल भारत के अटॉर्नी जनरल का अधीनस्थ होता है, जो कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और सुप्रीम कोर्ट में उसका प्रमुख वकील होता है. भारत के सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है. भारत का सॉलिसिटर जनरल देश का द्वितीय विधि अधिकारी होता है, जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है और उसकी सहायता के लिए कई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं. भारत के अटॉर्नी जनरल की तरह सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल परामर्श देते हैं और विधि अधिकारी (शर्तें एवं निबंधन) नियम, 1972 के अनुरूप भारतीय संघ की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं. लेकिन भारत के अटॉर्नी जनरल के पद की तरह, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है, सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलों के पद मात्र सांविधिक होते हैं.

भारत में, अटॉर्नी जनरल की भूमिका को राजनीतिक तौर पर परिकल्पिक नहीं की गई थी. अटॉर्नी जनरल और अन्य विधि अधिकारी सरकार के सदस्य नहीं हैं, अथवा मंत्रियों के तौर पर पद धारण नहीं करते हैं. क्या अटॉर्नी जनरल एक राजनीतिक पद है? अथवा वह एक ऐसा अधिवक्ता होता है जो कि तटस्थ होता है और मात्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है तथा निष्पक्ष परामर्श देता है.

अंततः ये निष्कर्ष निकलता है कि अटॉर्नी जनरल की वास्तविक विशेषज्ञता अस्पष्ट है. सिद्धांत रूप में वह अदालत का एक दोस्त होता है और उसे संविधान की मर्यादा को बनाए रखना होता है. लेकिन व्यवहार में उसका ग्राहक, भुगतान स्वामी और नियोक्ता भारत सरकार है. किसी भी संवैधानिक लोकतंत्र में कभी कभार न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव होना अपरिहार्य है. अतः ऐसे टकरावों में अटॉर्नी जनरल की भूमिका की जांच अपरिहार्य होगी. एकमात्र प्रश्न यही है कि क्या वे इन टकरावों पर बुद्धिमानी और सत्यनिष्ठा के साथ पार पा सकते हैं.

(लेखक एनएलएसआईयू बैंगलोर के पूर्व छात्र हैं और सुप्रीम कोर्ट तथा दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं. वे इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ में अतिथि संकाय भी हैं.
ई मेलः bipinaspatwar@gmail.com)

न्यूज़ डाइजेस्ट

- *डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमतों में लगातार कमजोरी को दूर करने के लिए सरकार ने विदेशी पूंजी अंतर्वाह को बढ़ावा देने के लिए सुधार का प्रस्ताव किया है.* ***(ब्यौरे के लिए http://www.rojgarsamachar.gov.in/ पर वेब विशेष देखें)***
- *विनिवेश पर मंत्रिसमूह ने मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एमएमटीसी) में बिक्री पेशकश के जरिए 9.33 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी.*
- *मोबाइल फोन के बढ़ते प्रयोग को देखते हुए आईआरटीसी एक जुलाई से एसएमएस आधारित टिकटिंग की शुरूआत करेगी.*
- *वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की क्रेडिट रैंकिग में सुधार करते हुए इसे नकारात्मक से बढ़ाकर स्थिर कर दिया है .* ***(ब्यौरे के लिए http://www.rojgarsamachar.gov.in/ पर वेब विशेष देखें)***
- *श्री आर.चन्द्रशेखर को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) का प्रमुख नियुक्त किया गया है. एनटीआरओ देश की प्रमुख खुफिया और निगरानी एजेंसी है*
- *15 जुलाई से टेलीग्राम सेवाएं बंद कर दी जाएंगी.* ***(ब्यौरे के लिए http://www.rojgarsamachar.gov.in/ पर वेब विशेष देखें)***
- *पुलेला गोपीचंद के बाद के. श्रीकांत भारत से बाहर प्रमुख बैंडमिंटन खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं. इससे पहले 2001 में पुलेला गोपीचंद ने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीतकर यह कारनामा दर्ज किया था. 20 वर्षीय श्रीकांत ने थाइलैंड ओपन ग्रैंड प्रिक्स जीतने के लिए शीर्ष वरीयता प्राप्त बूनसक पोनसाना को 34 मिनट की अवधि में 21-16, 21-12 से मात दी.*
- *राफेल नडाल ने डेविड फेरर को हराकर आठवीं बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया है. वे एक ही ग्रैंड स्लैम आठ बार जीतने वाले पहले पुरुष बन गए हैं.*
- *सेरेना विलियम्स ने मारिया शेरापोवा को 6-4, 6-4 से मात देते हुए 2013 का महिला फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किया है. यह उनका 16वां ग्रैंड स्लैम और 2002 के बाद से पहला फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप खिताब है.*

दिल्ली पोस्टल पंजीकरण संख्या डीएल.एसडब्ल्यू 1/4100/2012.14 यू. (सी.).107/2012.14 पूर्व शुल्क के बिना डाक में डालने की अनुमति आर.एन.आई.28729/76 एन.डी.पी.एस.ओ. नई दिल्ली 22/24.6.2013 (₹ 8) प्रकाशन तिथि : 20.06.2013

सं. 2(6)/2012- पर्स-II
भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी.ई.आई.टी.वाई.)
इलेक्ट्रॉनिकी निकेतन, 6 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003

विषय : इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में प्रकाशन सहायक तथा केयर टेकर के पद को प्रतिनियुक्ति/विलयन आधार पर भरना.

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी.ई.आई.टी.वाई) में प्रकाशन सहायक एवं केयर टेकर के पद को प्रतिनियुक्ति/विलयन आधार पर भरने का प्रस्ताव है. पद के लिए पात्रता शर्तों, अनुभव आदि का उल्लेख नीचे **अनुबंध-I** में किया गया है.

2. प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष होगी, जिसे, यदि ऐसा आवश्यक हुआ तो 3 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है. केंद्रीय सरकार के एक ही या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद की प्रतिनियुक्ति अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन अनुबंध सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी. प्रतिनियुक्ति की शर्तें तथा वेतन एवं भत्ते कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित का.ज्ञा.सं. 6/8/2009- एस्ट. (पे-II) दिनांक 17-6-2010 के अनुसार शासित किए जाएंगे.

3. ऐसे पात्र एवं इच्छुक अधिकारियों, जिन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जा सके, के विवरण नीचे दिए गए निर्धारित प्रारूप (अनुबंध-II) में भरकर उनकी अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर/वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट की सत्यापित प्रतियों तथा सतर्कता निपटान/अनुशासनात्मक निपटान के साथ, **रोज़गार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के अंदर** इस विभाग को भेज दें.

4. अंतिम तारीख के बाद एवं गो.रि./ए.पी.ए.आर. की प्रतियों तथा सतर्कता निपटान/अनुशासनात्मक निपटान के बिना प्राप्त आवेदनपत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे. चयनित कर्मचारी को बाद में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं होगी.

(गिरीश सहाय)
संयुक्त निदेशक
अनुबंध-I

प्रकाशन सहायक (समूह 'ख' - अराजपत्रित)	
1. पद की संख्या	01 (एक)
2. वेतनमान	पी.बी.-2, रु. 9300-34800 तथा ग्रेड वेतन रु. 4200/-
3. पात्रता	केंद्रीय/राज्य सरकार के अधिकारी, जो : - (क)(i) नियमित आधार पर सदृश पदधारी हैं, अथवा (ii) पी.बी.-1, वेतनमान रु. 5200-20200 तथा ग्रेड वेतन रु. 2400/- में दस वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं या समकक्ष, और (ख) निम्नलिखित योग्यताएं रखते हैं: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था की डिग्री, और (ii) प्रकाशन कार्य के हस्तन में दो वर्ष का अनुभव. **वांछनीय:** (क) पत्रकारिता में डिग्री या डिप्लोमा. (ख) अंग्रेजी तथा हिंदी- दोनों में सम्पादन के क्षेत्र में अनुभव.
केयर टेकर (समूह 'ख'- अराजपत्रित)	
1. पद की संख्या	01 (एक)
2. वेतनमान	पी.बी.-2, रु. 9300-34800 तथा ग्रेड वेतन रु. 4200/-
3. पात्रता	केंद्रीय/राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी, जो : (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; या (ii) मूल संवर्ग/विभाग में पी.बी.-1, वेतनमान रु. 5200-20200 तथा ग्रेड वेतन रु. 2800/- के ग्रेड में 6 (छह) वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं या समकक्ष और भवनों की देखभाल तथा रखरखाव का तीन वर्ष का अनुभव रखते हैं, या (iii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन बैंड-1, वेतनमान रु. 5200-20200 तथा ग्रेड वेतन रु. 2400/- के ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं या समकक्ष और भवनों की देखभाल तथा रखरखाव में तीन वर्ष का अनुभव रखते हैं.

टिप्पणी : भूतपूर्व सैनिकों के लिए : अगले एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले या आरक्षी को स्थानंतरित किए जाने वाले सशस्त्र बल कार्मिक, जो अपेक्षित अनुभव तथा निर्धारित योग्यताएं रखते हैं, उन पर भी विचार किया जाएगा. ऐसे व्यक्तियों को सशस्त्र बलों से सेवा-विमुक्ति की तारीख तक प्रतिनियुक्ति शर्तों पर रखा जाएगा और उसके बाद उन पर पुनः रोज़गार पर रखने पर विचार किया जा सकता है.

अनुबंध-II

आवेदन प्रारूप

.....पद के लिए आवेदनपत्र

1. किस पद के लिए आवेदन किया है.

जीवनवृत्त प्रपत्र

2. उम्मीदवार का नाम व पता (बड़े अक्षरों में) :
3. जन्मतिथि (ईस्वी सन में) :
4. केंद्र/राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख :
5. शैक्षिक अर्हताएं:
6. क्या पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं पूरी की गयी हैं (यदि किसी अर्हता को निर्धारित योग्यता के समकक्ष माना गया है, तो उसके बारे में प्राधिकार का उल्लेख करें)

अपेक्षित अर्हताएं/अनुभव	**अधिकारी द्वारा धारित अर्हता/अनुभव**
अनिवार्य (1), (2), (3)	
वांछनीय (1), (2)	

7. कृपया स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि आपके द्वारा की गयी उपर्युक्त प्रविष्टियों के आलोक में, आप पद की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं.
8. कालानुक्रम में सेवा का विवरण. नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो अपने हस्ताक्षरों से विधिवत अधिप्रमाणित एक पृथक सीट संलग्न करें.

कार्यालय/संस्थान	**धारित पद**	**से**	**तक**	**बैंड और ग्रेड पे**	**कार्यों की प्रकृति (विस्तार से)**

9. वर्तमान रोज़गार की प्रकृति अर्थात तदर्थ या अस्थायी या अर्धस्थायी या स्थायी.
10. यदि वर्तमान रोज़गार प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर धारित हैं तो कृपया स्पष्ट करें.
क) प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि
ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर नियुक्ति की अवधि
ग) मूल कार्यालय/संगठन, जिससे आप संबंधित हो, का नाम.
11. वर्तमान रोज़गार के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे, कृपया उल्लेख करें, यदि निम्न में किसी के अधीन कार्यरत हैं (संगत कॉलम के सामने अपने नियोक्ता का नाम दर्शाएं)
(क) केन्द्र सरकार (ख) राज्य सरकार (ग) स्वायत्त संगठन
(घ) सरकारी उपक्रम (ङ) विश्वविद्यालय (च) अन्य
12. बताएं कि क्या आप उसी विभाग में और फीडर ग्रेड या फीडर ग्रेड के फीडर में हैं.
13. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं, यदि हां, तो संशोधन की तारीख एवं संशोधन पूर्व वेतनमान भी लिखें.
14. इस समय प्रति माह प्राप्त कुल परिलब्धियां.
15. पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसका आप उल्लेख करना चाहते हों, इसमें अन्य बातों के साथ-साथ.
(i) अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं (iii) रिक्त स्थान से संबंधित परिपत्र/विज्ञापन में निर्धारित अनुभव से अधिक कार्य अनुभव के संबंध में सूचना मुहैया कराई जाए)
(नोट: यदि स्थान अपर्याप्त है तो एक अलग पत्रक संलग्न करें)
16. आपकी उम्मीदवारी के समर्थन में कॅरिअर की अन्य उपलब्धियां.
17. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अपिव/अस्थि विकलांग व्यक्ति हैं.
18. अभ्युक्तियां (उम्मीदवार (i) अनुसंधान संबंधी प्रकाशनों, रिपोर्टों तथा विशेष परियोजनाओं (ii) पुरस्कारों/छात्रवृत्तियों/शासकीय प्रशस्तियों (iii) व्यावसायिक निकायों/संस्थानों/समितियों से संबद्धता तथा (iv) अन्य सूचना के संबंध में जानकारी सूचित करें.)
(नोट : यदि स्थान अपर्याप्त हो तो एक अलग पत्रक संलग्न करें)
19. कार्यालय का सम्पर्क नंबर.....
निवास.....मोबाइल.....

मैंने रिक्ति संबंधी परिपत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं इस आशय से भलीभांति अवगत हूं कि मेरे द्वारा दस्तावेजों से विधिवत समर्थित और प्रस्तुत जीवनवृत्त का मूल्यांकन चयन समिति द्वारा पद हेतु चयन के समय भी किया जाएगा.

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
तारीख:.....

रो.स.12/45

ऋतुपर्णो घोष : ...
(पृष्ठ 1 का शेष)

लोकार्नो अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रतिष्ठित गोल्डन लेपर्ड पुरस्कार के लिए अंतरमहल को नामंकित किया गया. यहां तक कि मिथुन चक्रवर्ती ने भी महिला किरदारों को काफी ज्यादा महत्व देने के लिए ऋतुपर्णो पर आरोप लगाया लेकिन आखिर में वयोवृद्ध बांग्ला अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी को ऋतुपर्णो द्वारा निर्देशित दोसर (साथी) में उनकी भूमिका के लिए ज्यूरी स्पेशल मेंशन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला. उनकी पहली अंग्रेज़ी फिल्म द लास्ट लियर में सबसे ज्यादा महत्व अमिताभ बच्चन के किरदार को दिया गया जबकि प्रीति जिंटा, दिव्या दत्ता और अर्जुन रामपाल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. द लास्ट लियर को सर्वश्रेष्ठ अंग्रेज़ी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला.

हिंदी फिल्मों की बड़ी-बड़ी अभिनेत्रियों ने उनके साथ काम किया. मनीषा कोइराला ने फिल्म खेला (खेल) और बिपाशा बसु ने सोब चरित्रो काल्पोनिक (सभी चरित्र काल्पनिक) में काम किया. सोब चरित्र काल्पोनिक को सर्वश्रेष्ठ बांग्ला फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसे डर्बन अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी दिखाया गया. ऋतुपर्णो मानवीय रिश्तों को पर्दे पर उतारने में माहिर थे. अबोहोमन (शाश्वत) में उन्होंने फिल्मनिर्माता के किरदार के जरिए पुरुष और महिला के रिश्ते को दिखाया, जिसमें उसकी पत्नी और एक अभिनेत्री के साथ उसके संबंधों के साथ खुद के बेटे के साथ उसके मज़बूत रिश्ते को दिखाया गया.

अबोहोमन को सर्वश्रेष्ठ बांग्ला फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जबकि ऋतुपर्णो को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और अनन्य चटर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला.

रबीन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यास पर आधारित नॉकादूबी (नांव का टूंटना) फिल्म के लिए उनके भाई इंद्रनील घोष को कला निर्देशन का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ. ऋतुपर्णो ने अपना फिल्मी कॅरिअर उड़िया फिल्म कथा देथिली मा कु में अभिनय के साथ शुरू किया. उसके बाद उन्होंने जस्ट एनोदर लव स्टोरी तथा मेमोरीज़ इन मार्च फिल्मों में काम किया. इन फिल्मों में वह एक मज़बूत, निडर समलैंगिक कार्यकर्ता के रूप में सामने आए. उन्हें अपनी लैंगिकता प्राथमिकता के बारे में कभी कोई ऐतराज़ नहीं था और उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे पर हमेशा गंभीरता से चर्चा की.

टैगोर के नृत्य नाटक पर आधारित उनकी हाल की फिल्म चित्रांगदा जिसका न केवल उन्होंने निर्देशन किया, बल्कि उसमें मुख्य किरदार की भूमिका भी निभाई. इस किरदार के लिए उन्हें इस साल विशेष ज्यूरी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया.

उन्होंने सनग्लास फिल्म भी बनाई है जो अभी रिलीज़ नहीं हुई है. यह फिल्म हिंदी और बांग्ला भाषा में बनाई गई है. टैगोर पर उनका वृत्तचित्र जिबान स्मृति भी अभी रिलीज़ होना है. निर्देशक के रूप में उन्होंने आखिरी फिल्म सत्यनवेशी पूरी की लेकिन उसमें अभी निर्माण के बाद का काम होना बाकि है.

ऋतुपर्णो काफी जल्दी इस दुनिया से चले गए लेकिन वे अपने पीछे विशाल विरासत और ज्ञान का भंडार छोड़ गए हैं जो युवा पीढ़ी को अथक प्रयास, अनुसंधान और विशुद्ध विषय बनाने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे किसी जिंदगी को जीवंत बनाया जा सकता है.

(लेखक दिल्ली में फिल्म फेस्टिवल क्यूरेटर हैं और सिनेमा, कला तथा संस्कृति के बारे में लिखते हैं. ई-मेल: santanugangopadhayay@gmail.com)

रोज़गार समाचार

ईरा जोशी
अतिरिक्त महानिदेशक

अनुराग मिश्रा
निदेशक

डॉ. ममता रानी
संपादक

नलिनी रानी
संपादक (विज्ञापन एवं संपादकीय)

इरशाद अली
संपादक (उर्दू)

मारूफ आलम
संपादक

केपी मणिलाल
लेखा अधिकारी

सूर्यकांत शर्मा
व्यापार व्यवस्थापक

विनोद कुमार मीणा
संयुक्त निदेशक (उत्पादन)

पी.के. मंडल
वरिष्ठ कलाकार

संपादकीय कार्यालय
रोज़गार समाचार
पूर्वी खण्ड IV तल-5, रामकृष्णपुरम
नई दिल्ली-110066

ई-मेल : enewsedit@gmail.com

संपादकीय	: 26163055
विज्ञापन	: 26104284
टेलीफैक्स	: 26193012
वितरण	: 26107405
टैलीफैक्स	: 26175516
प्रोडक्शन	: 26177529
लेखा (विज्ञापन)	: 26193179
लेखा (वितरण)	: 26182079

सूचना

रोज़गार समाचार में छपे लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जरूरी नहीं है कि वही विचार सरकार के या जिन संगठनों के लिए लेखक कार्य करते हैं, उनके हों. रोज़गार समाचार में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु संगठन या उनके प्रतिनिधियों की है. रोज़गार समाचार इन विज्ञापनों की विषयवस्तु/पाठ के कारण उत्पन्न होने वाले किसी विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है.

व्यावसायिक अध्ययन हेतु ऋण

- रु. 2.0 लाख तक का रियायती ऋण
- ब्याज दर 6 % वार्षिक
- ऑटो केड, वेब डिजाइन, कम्प्यूटर साप्टवेयर/हार्डवेयर पाठ्यक्रम, कार्यालय प्रबंधन तथा सचिवीय पाठ्यक्रम, 3डी/2डी एनीमेशन तथा ग्राफिक डिजाइन, ऑटोमोबाइल डिप्लोमा इत्यादि

नि:शक्तजनों का सशक्तिकरण

नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेन्स एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन
(नि:शक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
रेड क्रॉस भवन, सैक्टर-12, फरीदाबाद-121007
दूरभाष : 0129-2287512, 0129-2287513, फैक्स : 0129-2284371
ई-मेल : nhfdc97@gmail.com, वेबसाइट : www.nhfdc.nic.in

रो.स. 12/1

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के लिए ईरा जोशी, अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित और प्रिंटिंग प्रेस अमर उजाला पब्लिकेशन लिमिटेड, सी.21 व 22, सेक्टर.59, नोएडा.201301 में मुद्रित, रोज़गार समाचार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) ईस्ट ब्लाक.IV, लेवल.5, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली.110066 द्वारा प्रकाशित, संपादकः डॉ. ममता रानी